भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 647
दिनांक 06.12.2023 को उत्तर देने के लिए

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

†647. श्री जुएल ओराम:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए ओडिशा के लोगों की समस्याओं की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो ऐसे विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है; और
(ग) उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) खनन परियोजनाओं में विस्थापित लोगों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एवं आर) का मामला राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (नालको) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, नालको की परियोजनाओं द्वारा विस्थापित ओडिशा के लोगों की समस्याओं की ओडिशा सरकार द्वारा गठित पुनर्वास और परिधि विकास सलाहकार समितियों (आरपीडीएसी) द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में भूमि, वृक्षों/फसलों और संरचनाओं के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का आंकलन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के अनुसार किया गया है और कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 (सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957) के तहत भूमि को एमसीएल के हवाले करने के बाद ग्रामीणों को उसका भुगतान किया जाता है।

(ख) और (ग): नालको के परियोजना कार्यकलापों से कुल 636 व्यक्ति विस्थापित हुए। इनमें से दामनजोड़ी, कोरापुट जिले में 601 व्यक्तियों और अंगुल जिले में 35 व्यक्तियों को विस्थापित किया

गया। दामनजोड़ी में भूमि विस्थापित 601 व्यक्तियों (एलडीपी) में से, 599 एलडीपी/उनके नामांकित व्यक्ति नालको में कार्यरत थे। शेष दो मामलों के संबंध में, हाल ही में पहचाने गए एक मामले के नामांकन को जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया जाना है और शेष एक मामले के लिए उनके पारिवारिक विवाद के कारण नामांकित व्यक्ति का अंतिम रूप नहीं दिए जाने से जिला प्राधिकरण का निर्णय प्रतीक्षित है। अंगुल में 35 एलडीपी में से, 34 एलडीपी/उनके नामांकित व्यक्ति नालको में कार्यरत थे जबकि एक एलडीपी ने रोजगार के बदले में एकमुश्त नकद सहायता को प्राथमिकता दी थी।

एमसीएल में, अब तक 17,262 परिवारों को परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) के रूप में चिह्नित किया गया है और 12,789 परिवारों को पुनर्व्यवस्थापन लाभ दिया गया है। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एवं आर) के मुद्दों की निगरानी और समीक्षा आरपीडीएसी द्वारा की जाती है और विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है। आरपीडीएसी ने अलग-अलग मामलों के निवारण के लिए उप-समितियों का भी गठन किया है जिनमें स्थानीय माननीय सांसद, विधायक, संबंधित जिले के कलेक्टर और एसपी, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल और एमसीएल के सीजीएम/जीएम शामिल हैं। इसके अलावा, एमसीएल अब अलग-अलग शिकायतों के समाधान के लिए नियमित शिकायत निवारण बैठकें आयोजित कर रही है और ओडिशा सरकार की आर एवं आर नीति के भीतर और बाहर सभी पीडीएफ को आर एवं आर लाभ प्रदान करती है।

******